कार्यालय जिला कलेक्टर (प्राधिकृत अधिकारी) अलवर

क्रमांक/राजस्व/97/

आ दे श   दिनांक:-

यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 337/95 में पारित निर्णय दिनांक 22.8.97 के अनुसरण में जिला अलवर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का एवं राष्ट्रीय अभयारण्य सरिस्का के क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के दावों एवं अधिकारों का निर्धारण किया जाना है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 की उप धारा -1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(22)राज-8/78/ दिनांक 27.8.1982 के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का के नाम से उद्घोषित राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा जारी की गई। उक्त अधिसूचना के अंतर्गत उक्त उद्यान की निम्न प्रकार से सीमायें निर्धारित की गई।

उत्तर:- बारां नाहरखोरा जंगली नलदेश्वर, घनोड़ी, क्रास्का, करनाकाबास सरिस्का, टेकमाला, दुहार माला, तालवृक्ष।

पूर्व :- नाडू जंगल चौरेठा की पहाड़ी, देवरी आरक्षित वन खण्ड, सालोबेरी आरक्षित वन खण्ड, नारायणी, पृथ्वीपुरा, की पहाड़ी रक्षित वन बारा

पश्चिम:- तालवृक्ष पहाड़ी, टेकमाला, तालनेह उदयनाथ

दक्षिण :- उदयनाथ, कान्धावास ग्राम जंगल अगानी, अगानी से नाथ घाटी सड़क, नाडू वन खण्ड

उक्त अधिसूचना दिनांक 27.8.82 के अनुसरण में जिला कलेक्टर द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार/क्लेम का निर्धारण करने के लिये घोषणा पत्र संख्या क्रमांक 39-2(1) राज-72/पार्ट2/4999 दिनांक 27.9.82 तथा घोषणा पत्र क्रमांक 39-2(1) राज-72 पार्ट 2/1272 दिनांक 27.1.83 को घोषणा पत्र जारी किया गया। उक्त राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं का पुनः निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.1(22)राज/8/78/ दिनांक 29.5.85 को जारी किया गया।

—2

आरक्षित के कम्पार्टमेन्ट नं. 9 व 10 की दक्षिणी सीमा) नाहू वन खण्ड नाहू वन खण्ड आरक्षित के कम्पार्टमेन्ट नं. 2, 7, 8, 9, 10 की दक्षिणी सीमा व 11 व 15 की पश्चिमी सीमा व 16 की दक्षिणी सीमा)

पूर्व:- नाहू जंगल (नाहू आरक्षित वन खण्ड के कम्पार्टमेन्ट नं. 16 की पूर्वी सीमा) बोरेठा की पहाडी) उमरीदेवरी आरक्षित वन खण्ड कम्पार्टमेन्ट नं. 17, 16 व 15, 14 की पूर्वी सीमा) देवरी आरक्षित वन खण्ड) देवरी आरक्षित वन खण्ड कम्पार्टमेन्ट नं. 11 व 9 की पूर्वी सीमा (सोलीबेरी आरक्षित वन खण्ड) सोलीबेरी आरक्षित वन खण्ड कम्पार्टमेन्ट नं. 1 की पूर्वी सीमा) नाडरसत्ती) सो ऐरी कम्पार्टमेन्ट नं. 24 व 25 एव 28 की पूर्वी सीमा) ३ (पृथ्वीपुरा पहाडी रक्षित वन खण्ड) (पृथ्वीपुरा आरक्षित वन खण्ड कम्पार्टमेन्ट नं. 3 की पूर्वी सीमा) पृथ्वीपुरा अवर्गीकृत) की पूर्वी सीमा, बांरा (बांरा जियर तक)

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53 के तहत राज्य सरकार राजस्व ग्रुप-8 विभाग द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ-11 (22) राज/ग्रुप-8/70 पार्ट) 1) दिनांक 4.8.83 के द्वारा उप जिला [illegible] कलेक्टर अलवर (अधोहस्ताक्षरकर्ता) को जिला कलेक्टर की शक्तियाँ प्रदत्त की गई । उप जिला कलेक्टर [illegible] (भूमि अर्जन अधिकारी) द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 व 21 से 25 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का के अंतर्गत बसे हुये नागरिकों के दावों की सुनवाई की गई तथा दिनांक 24.6.85 को आदेश पारित कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 24 ब एव 25 के अंतर्गत अवार्ड जारी किया गया । उक्त अवार्ड के तहत 19 क्लेम राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में नहीं आने के कारण खारिज किये गये तथा सरिस्का पैलेन्स क्लेम को शामिल रखते हुये के दावों का जो निजी खातेदारी भूमि से सम्बंधित थे का मुआवजा निर्धारित किया गया तथा [illegible] पिलापानी, [illegible] व [illegible] [illegible] राजगढ के ग्राम वासियों द्वारा जो क्लेम प्रस्तुत किये गये वे निर्धारित [illegible] में नहीं होने एव जंगलात की भूमियों पर अतिक्रमण किया हुआ होने पर [illegible] क्लेमों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया [illegible] इनके [illegible] [illegible] कार किया गया । ग्राम वासीयान कान्यावास के द्वारा राजस्व एवं

व्यक्ति विशेष की भूमि का स्पष्ट विवरण नहीं दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र में कोई बल नहीं होने के फलस्वरूप क्लेम अस्वीकार किये गये। इस प्रकार उप खण्ड अधिकारी अलवर (अधोहस्ताक्षरकर्ता) द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 व 21 से 25 तक की कार्यवाही सम्पन्न की गई। और इनके अलावा अन्य कोई क्लेम एव अधिकारों के लिये मांग पत्र प्रस्तुत नही हुआ।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का क्षेत्र के लिये निम्न प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं:-

1. लोक सेवक राजकीय दायित्वों के निर्वहन में प्रवेश कर सकेंगे।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर्ता ही प्रवेश कर सकेंगे।
3. राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में दिनांक 27.8.1982 से पूर्व के विद्यमान रास्तों के अधिकार जो राजस्व अभिलेखो में अंकित है यथावत रहेंगे।
4. धार्मिक स्थल, पीने के पानी के स्थलो पर दिनांक 27.8.1982 के पूर्व के विद्यमान अधिकार जो राजस्व अभिलेखो मे अंकित है वे यथावत रहेंगे।

सरिस्का पेलेन्स के स्वामित्व के संबंध मे न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं0 2 अलवर के समक्ष वाद सं0 127/85 अनुवान राजस्थान सरकार बनाम शिक्षा विठ्ठल विचाराधीन है जिसमें स्वामित्व का प्रश्न निहित होने के कारण क्लेम को लम्बित रखा गया।

उक्त अधिकारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा लगाये गये है वे यथावत लागू रहेंगे।

उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 के तहत जारी अधिसूचना एफ।। (22) राज/ग्रुप-8/76/पार्ट/। दिनांक 4.8.1983 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक ______ हस्ताक्षर एव मोहर अदालत से जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)

उप जिला कलेक्टर
अलवर
(प्राधिकृत अधिकारी)